



1. सुनील कुमार तब्य राजाराम लाल उम्र 35 वर्ष पेशवा जेती,
2. सुनीलकुमारी पत्नी राजाराम लाल उम्र 60 वर्ष पेशवा एकादश

दोनों निवासी ग्राम डमौरा तहसील जवा जिला सीवा मोरवा

-----निभरा नी कर्ता गण

काम

द्वारिका प्रसाद मिश्र तब्य जगन्नाथ मिश्र अथवा उन्नत बाल कल्याण

समिति डमौरा तहसील जवा जिला सीवा मोरवा -----नेर निभरा नी कर्ता

R. 2398-II/12

अधिवक्ता श्री राजाजी
संविधान द्वारा सु (37)
सीवा. दि. 9.7.2012
[Signature]
19.7.12

निभरा नी विरुद्ध आदेश तहसीलदार जवा वृत्त
डमौरा तहसील जवा जिला सीवा के प्रकरण क्रमांक
15312/10-11 आदेश दिनांक 31-5-2012.

निभरा नी अन्तर्गत धारा 50 मोरवा को रोजव
सिद्धिदा तब 1959 ई० ।

25.7.12

मा न्यवर,

निभरा नी के आधार निम्न है :-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया
के विरुद्ध कोर्ट से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि आराजी धारा नम्बर 1253 जो माँजा डमौरा तहसील
जवा जिला सीवा में स्थित है, उक्त भूमि के वर्तमान में उर्दू आतेदार है ।

आराजी आतेदार आने अपने धिरे की भूमियो पर कृषि कार्य करते हुये

17/7/12

[Signature]
9/7/12

- 2 -

R - 1398-III/12 जिला-सीवा

26.4.17.

- 1- आवेदक गण तथा उनके अधिभाषक की पुकार कारणी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगातार सात पेशियों से उपाधित नहीं हो रहे हैं।
- 2- आवेदक तथा उनके अधिभाषक सूचना उपरांत उपाधित नहीं हैं।
- 3- चूंकि आवेदक गण तथा अधिभाषक सूचना उपरांत उपाधित नहीं हैं अतः ललित की धारा 35(2) के तहत प्रकाश अधिनियम में तयारिज किया जाता है।
- 4- आदेश की प्रती के साथ अधि. पापक का रिपोर्ट वापस हो। तत्पश्चात प्रकाश पत्र से सम्बन्ध लेकर हा. हा. हो।

स्व. स्व.